

**पर्यटन मंत्रालय**

**मांग संख्या 93**

**पर्यटन मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	119.50	41.30	160.80	126.50	41.30	167.80	186.00	41.24	227.24	
पूंजी	205.50	...	205.50	223.50	23.70	247.20	314.00	0.50	314.50	
जोड़	<b>325.00</b>	<b>41.30</b>	<b>366.30</b>	<b>350.00</b>	<b>65.00</b>	<b>415.00</b>	<b>500.00</b>	<b>41.74</b>	<b>541.74</b>	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं पर्यटन	3451	...	0.98	...	0.98	0.98	...	1.05	1.05	
2. महानिदेशक, पर्यटन-निदेशन तथा प्रशासन	3452	...	28.37	...	28.37	28.37	17.00	30.77	47.77	
3. पर्यटक सूचना और प्रचार	3452	12.00	0.20	12.00	12.00	0.20	14.00	0.20	14.20	
3.01 देशीय अभियान	3452	56.00	...	56.00	56.00	...	90.00	...	90.00	
3.02 समुद्रपारीय अभियान	जोड़	68.00	0.20	68.20	68.00	0.20	104.00	0.20	104.20	
4. पर्यटक आधारभूत ढांचा	5452	183.00	...	183.00	201.00	...	279.00	...	279.00	
5. प्रशिक्षण	3452	19.50	0.60	20.10	19.50	0.60	28.00	0.50	28.50	
6. अन्य व्यय	3452	22.00	10.65	32.65	29.00	10.65	39.65	22.00	8.22	
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजना/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	10.00	...	10.00	10.00	...	15.00	...	15.00	
	4552	22.50	...	22.50	22.50	...	35.00	...	35.00	
जोड़	जोड़	32.50	...	32.50	32.50	...	50.00	...	50.00	
8. आईटीडीसी को ऋण	7452	...	...	...	23.70	23.70	...	0.50	0.50	
9. विविध सामान्य सेवाएं- विनिमय द्वारा हानि	2075	...	0.50	0.50	...	0.50	...	0.50	0.50	
जोड़-पर्यटन	<b>325.00</b>	<b>40.32</b>	<b>365.32</b>	<b>350.00</b>	<b>64.02</b>	<b>414.02</b>	<b>500.00</b>	<b>40.69</b>	<b>540.69</b>	
कुल जोड़	<b>325.00</b>	<b>41.30</b>	<b>366.30</b>	<b>350.00</b>	<b>65.00</b>	<b>415.00</b>	<b>500.00</b>	<b>41.74</b>	<b>541.74</b>	
<b>ख. लोक उद्यमों में निवेश</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. भारत पर्यटक विकास निगम	13452	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>ग. आयोजना परियोजना*:-</b>										
1. सामान्य आर्थिक सेवाएं-पर्यटन	13452	325.00	...	325.00	350.00	...	350.00	500.00	...	500.00

1. इसमें पर्यटन विभाग के सचिवालय पर व्यय की पूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है।

2. यह व्यवस्था पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय की स्थापना और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों के व्यय की पूर्ति के लिए है। उनकी मुख्य गतिविधियां पर्यटन संबंधी जानकारी देना, पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, यात्रा उद्योग से संबद्ध विभिन्न खंडों जैसे होटलों, ट्रेवल एजेंटों, गाइडों आदि का विनियमन करना है।

3. भारत तथा विदेश स्थित भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों के नेटवर्क के जरिए प्रोत्साहन तथा विपणन कार्य किया जाता है। इसके अलावा, नियमित प्रोत्साहन संबंधी गतिविधियां, प्रचार सामग्री का निर्माण, मीडिया तथा जन-संपर्क, आतिथ्य सत्कार और विपणन विकास सहायता योजना सहित विशेष अभियानों को वर्ष 2000-01 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अधीन, जो वर्तमान में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है, पणधारियों तथा पर्यटन क्षेत्र में स्टार ट्रेडिंग हाउसिंग भी बाजार विकास हेतु सहायता आह्वित करने हेतु पात्र है। इसे पर्यटन की "एक्सपोर्ट हाउस" का दर्जा देने के बाद पर्यटन उद्यमों के लिए अनुमोदित किया गया।

4. पर्यटन की आधारभूत संरचना का केन्द्र बिन्दु मौजूदा परियोजनाओं में सुधार तथा नए पर्यटन स्थलों का विकास विश्व श्रेणी के मानक के आधार पर करना है। इन सुविधाओं में कम खर्चीले आवास, पर्यटक परिसरों, मार्ग सुविधाओं, पर्यटक स्वागत केन्द्र, स्मारकों की साफ-सफाई, विशेष पर्यटन परियोजनाएं,

पर्वतारोहण तथा खेल सुविधाएं, साउंड और लाइट शो तथा स्मारकों में प्रकाश व्यवस्था करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग का उद्देश्य वार्षिक आधार पर देश में छह पर्यटन सर्किटों की पहचान करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार विकसित करना है। वर्ष 2002-03 के दौरान पहले ही छह पर्यटन सर्किटों की पहचान कर ली गई है। बड़ी मात्रा में राजस्व सृजित करने संबंधी परियोजना के संबंध में सहायता प्रदान करने संबंधी इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता कन्वेंशन सेंटर, लक्जरी ट्रेन, क्रूज टर्मिनल आदि जैसी योजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी।

5. देश में पर्यटन विकास के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का होना परमावश्यक है। इस समय देश में 21 होटल प्रबंध संस्थान और 13 फूड क्राफ्ट संस्थान मौजूद हैं। भारतीय पर्यटन तथा यात्रा प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐसे अन्य तीन निकाय हैं जो पर्यटन हेतु जनशक्ति विकास में कार्यरत है। इसके अलावा, गाइडों, अधिकारियों तथा स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नियमित पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

6. इसमें वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा होटल, बाजार अनुसंधान, कम्प्यूटरीकरण के लिए अग्रिम तौर पर दिए गए ऋणों पर ब्याज विभेदक सब्सिडी का भुगतान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदानों के लिए प्रावधान है।

7. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया है।